सत्यमेव जयते

झारखण्ड सरकार

# लेखे एक नजर में

## 2010-2011

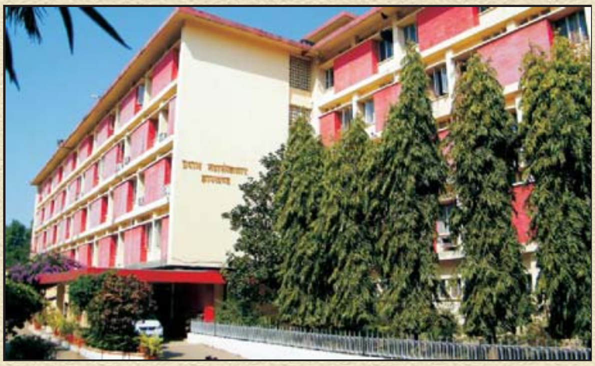

Celebrating 150 Years of Existence

**प्रधान महालेखाकार**

(लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड, राँची

सत्यमेव जयते

# लेखे एक नजर में

## 2010-2011

**प्रधान महालेखाकार**

(लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड, राँची

झारखण्ड विधान सभा

# प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार राज्य सरकार के वार्षिक लेखे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निदेशों के अधीन राज्य विधान मंडल के पटल पर रखने के लिए बनाये और जाँचे गये हैं।

वार्षिक लेखे – समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अधीन लेखे का संक्षिप्त विवरण है। विनियोग लेखे में राज्य विधान मंडल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के विरूद्ध अनुदानवार व्ययों को दर्ज किया जाता है एवं वास्तविक व्यय तथा उपलब्ध कराये गये निधियों के बीच अंतर का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करते हैं।

'लेखे एक नजर में' सरकारी क्रियाकलापों का विस्तृत विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है, जैसा कि वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में प्रदर्शित है। ये सूचना संक्षिप्त व्याख्याओं, विवरणों और ग्राफों के द्वारा दर्शाया गया है।

हमें उन परामर्शों की अपेक्षा है जो हमारे प्रकाशन के सुधार में सहायक सिद्ध हो।

**( मनोज सहाय )**
महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰)

स्थान – राँची
दिनांक 23 जनवरी 2012

# हमारा दृष्टिकोण, उद्देश्य एवं मूल्यांकन सार

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संस्थान का दृष्टिकोण यह इंगित करता है कि

हमें यह प्रयास करना है कि (वैश्विक नेतृत्व) सार्वजनिक क्षेत्र के लेखापरीक्षण एवं लेखाकरण में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम पद्धति का प्रवर्तक रहें एवं हमारा वैश्विक नेतृत्व हो तथा लोक वित्त एवं अभिशासन पर स्वतंत्र, विश्वसनीय, संतुलित एवं सामयिक प्रतिवेदन के लिए पहचाना जाए।

हमारा उद्देश्य हमारे वर्तमान दायित्व को निरूपित करता है तथा यह दर्शाता है कि वर्तमान में हमलोग क्या कर रहे हैं।

भारत के संविधान द्वारा अधिदेशाधीन, हम उच्च गुणवत्ता की लेखापरीक्षण तथा लेखाकरण के माध्यम से उत्तरदायित्व, पारदर्शिता एवं अच्छा अभिशासन को प्रोत्साहित करते हैं, तथा अपने भागीदारों -विधानमंडल, कार्यपालिका एवं जनता को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करते हैं कि लोक निधियों का उपयोग दक्षतापूर्वक तथा इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

सभी के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा मूल्यांकन सार प्रज्ज्वलित दीप की तरह मार्गदर्शन करे तथा अपनी कार्यकुशलता को परखने में हमें दिशा-निर्देश प्रदान करे।

- स्वतंत्रता
- वस्तुनिष्ठता
- निष्ठा
- विश्वसनीयता
- व्यवसायिक दक्षता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक दृष्टिकोण

# विषय-सूची


| अध्याय-1 | विहंगावलोकन | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 1.1 | भूमिका | 6 |
| 1.2 | लेखे की संरचना | 6 |
| 1.2.1 | सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं | 6 |
| 1.3 | वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे | 6 |
| 1.3.1 | वित्त लेखे | 6-7 |
| 1.3.2 | विनियोग लेखे | 7 |
| 1.4 | निधियों के स्रोत एवं उपयोग | 8 |
| 1.4.1 | अर्थोपाय अग्रिम | 8 |
| 1.4.2 | निधि प्रवाह विवरणी | 8-9 |
| 1.4.3 | रूपये कहाँ से आए | 9 |
| 1.4.4 | रूपये कहाँ गए | 10 |
| 1.5 | लेखे की विशिष्टता | 10-11 |
| 1.6 | घाटा एवं अधिशेष क्या दर्शाता है? | 11-12 |
| 1.6.1 | राजस्व घाटा/अधिशेष की प्रवृति | 12 |
| 1.6.2 | राजकोषीय घाटा की प्रवृति | 12 |
| 1.6.3 | पूंजी व्यय पर खर्च हेतु उधार लिये गए निधियों का अनुपात | 12 |
| **अध्याय-2** | **प्राप्तियाँ** | |
| 2.1 | भूमिका | 13 |
| 2.2 | राजस्व प्राप्तियाँ | 13-14 |
| 2.3 | प्राप्तियों की प्रवृति | 14-15 |
| 2.4 | राज्य की स्व कर राजस्व संग्रहण का प्रदर्शन | 16 |
| 2.5 | कर संग्रहण की दक्षता | 16 |
| 2.6 | विगत पाँच वर्षों के दौरान संघीय करों में राज्य का हिस्सा की प्रवृति | 17 |
| 2.7 | सहायक अनुदान | 17-18 |
| 2.8 | लोक ऋण | 18 |
| **अध्याय-3** | **व्यय** | |
| 3.1 | भूमिका | 19 |
| 3.2 | राजस्व व्यय | 19 |
| 3.2.1 | राजस्व व्यय (2010-11) का खण्डवार वितरण | 20 |

| | | |
|---|---|---|
| 3.2.2 | राजस्व व्यय (2006-2011) के मुख्य घटक | 20 |
| 3.3 | पूंजीगत व्यय | 21 |
| 3.3.1 | पूंजीगत व्यय का खण्डवार वितरण | 21 |
| 3.3.2 | विगत पाँच वर्षों के दौरान पूंजीगत व्यय का खण्डवार वितरण | 22 |
| **अध्याय-4** | **योजना एवं गैर-योजना व्यय** | |
| 4.1 | व्यय का वितरण (2010-11) | 23 |
| 4.2 | योजना व्यय | 23 |
| 4.2.1 | पूंजी लेखा के अन्तर्गत योजना व्यय | 23 |
| 4.3 | गैर-योजना व्यय | 24 |
| 4.4 | वचनबद्ध व्यय | 24 |
| **अध्याय-5** | **विनियोग लेखे** | |
| 5.1 | वर्ष 2010-11 के लिए विनियोग लेखे का सारांश | 25 |
| 5.2 | विगत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य या अधिक व्यय की प्रवृति | 25 |
| 5.3 | महत्वपूर्ण बचत | 26-27 |
| **अध्याय-6** | **परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व** | |
| 6.1 | परिसम्पत्तियाँ | 28 |
| 6.2 | ऋण एवं दायित्व | 28 |
| 6.3 | प्रत्याभूति | 28 |
| **अध्याय-7** | **अन्य मदें** | |
| 7.1 | आन्तरिक ऋण के अधीन शेष | 29 |
| 7.2 | राज्य सरकार द्वारा कर्ज एवं अग्रिम | 29 |
| 7.3 | स्थानीय निकायों एवं अन्यान्य को वित्तीय सहायता | 29 |
| 7.4 | रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश | 29 |
| 7.5 | लेखे का पुनर्मिलान | 30-31 |
| 7.6 | कोषागारों द्वारा लेखे का प्रेषण | 31 |
| 7.7 | संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र (ए०सी०) एवं विस्तृत आकस्मिक विपत्र (डी०सी०) | 31 |
| 7.8 | अपूर्ण पूंजीगत कार्यों के लेखे की वचनबद्धता | 31 |
| 7.9 | व्यय की तीव्रता | 32 |

**अध्याय-1**

# विहंगावलोकन

## 1.1 भूमिका

जिला कोषागारों, लोक-निर्माण कार्यों एवं वन प्रमंडलों द्वारा भेजे गए लेखे से राज्य सरकार के मासिक लेखे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित और समेकित किये जाते हैं। इसके अलावे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निदेशों के अधीन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्त्तें) अधिनियम 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार वित्त लेखे और विनियोग लेखे महालेखाकार द्वारा प्रतिवर्ष तैयार किये जाते हैं)

## 1.2 लेखे की संरचना

### *1.2.1 सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते है :-*

| | |
|---|---|
| **भाग-I**<br>**समेकित निधि** | राजस्व एवं पूंजीगत लेखे, लोक ऋण तथा कर्जे एवं पेशगियां पर प्राप्तियाँ और व्यय |
| **आकस्मिकता निधि** | वैसे अदृश्य व्यय को पूरा करने के लिए जिसके लिए बजट में प्रावधान नहीं है, तदोपरान्त इस निधि से व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति समेकित निधि से की जाती है |
| **भाग-HH**<br>**लोक लेखे** | इसमें ऋण, जमा, पेशगियां, प्रेषण तथा उचंत लेनदेन शामिल है। ऋण एवं जमा सरकार की देयता के पुनर्भुगतान को इंगित करता है। पेशगियां सरकार की प्राप्तियाँ है। प्रेषण उचंत लेनदेन समायोज्य प्रविष्टियाँ हैं जिसे अंतिम लेखा शीर्ष में पुस्तांकन द्वारा उत्तरोत्तर समाशोधित किया जाता है। |

## 1.3 वित लेखे एवं विनियोग लेखे

### *1.3.1 वित्त लेखे*

लेखे में दर्ज शेषों के परीक्षण के आधार राजस्व और पूंजी लेखे, लोक ऋण के लेखे एवं दायित्वों तथा सम्पत्तियों द्वारा प्रकट वित्तीय परिणामों के साथ वर्ष के लिए सरकार के प्राप्तियों और व्ययों के लेखे वित्त लेखे प्रस्तुत करता है। वित्त लेखे को अधिक व्यापक एवं सूचनात्मक बनाने हेतु इसे दो खण्डों में बनाया गया है। वित्त लेखे के खण्ड - I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, सम्पूर्ण प्राप्तियों एवं संवितरणों का संक्षिप्त विवरण समाहित है तथा 'लेखे पर टिप्पणियाँ', जिसमें महत्वपूर्ण लेखाकरण की नीतियाँ, लेखे की गुणवत्ता तथा अन्य मदें शामिल है। खण्ड - II में अन्य संक्षिप्त विवरणों (भाग - I), विस्तृत विवरणों (भाग - II) तथा परिशिष्टों (भाग - III) को शामिल किया जाता है।

(करोड़ रुपयों में)

| | | | |
|---|---|---|---|
| प्राप्तिर (कुलः | कुल राजस्व : | कर राजस्व | 1,18,71 |
| | | करेतर राजस्व | 28,03 |
| | | सहायक अनुदान | 41,07 |
| | कुल पूंजी : | कर्जे एवं पेशगियों की वसूली | 24 |
| | | उधार एवं अन्य दायित्व* | 21,11 |
| संवितरण (कुलः 2,09,17) | राजस्व | | 1,79,45 |
| | पंजी | | 26,64 |
| | कर्जे एवं पेशगियाँ | | 3,08 |

निवल

लोक लेखा (प्राप्तियाँ – संवितरण) + निवल अथ एवं अन्त रोकड़ शेष

केन्द्र सरकार, राज्य में विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों/गैर-सरकारी संगठनों को प्रत्यक्ष रूप से वास्तविक निधियों का हस्तांतरण करती

विमुक्त

किया। चूँकि इन निधियों का उल्लेख राज्य के बजट में नहीं किया जाता है इसलिए राज्य सरकार के लेखे में ये निधियाँ प्रतिबिम्बित नहीं होते हैं। वर्तमान में वित्त लेखे के खण्ड – IIके परिशिष्ट – UIIमें इन अंतरणों को दर्शाया जा रहा है।

### *1.3.2 विनियोग लेखे*

विनियोग लेखे वित्त लेखे का सम्पूरक है। यह समेकित निधि पर प्रभारित अथवा राज्य विधान मंडल द्वारा दत्तमत राशियों के विरूद्ध राज्य सरकार के व्यय को दर्शाता है। इसमें 05 प्रभारित विनियोग, 44 दत्तमत अनुदान, 02 दत्तमत एवं प्रभारित मिश्रित अनुदान एवं 01 बजट रहित अनुदान है।

विनियोग अधिनियम, 2010-2011 द्वारा ₹ 2,69,15 करोड़ रूपये का सकल व्यय तथा व्यय में कमी (वापसियाँ) के अन्तर्गत ₹ 11 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इसके विरूद्ध वास्तविक सकल व्यय ₹ 2,28,03 करोड़ रूपया था तथा ₹ 5,87 करोड़ व्यय की कमी के अन्तर्गत था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 46,99 करोड़ (17$ ) का निवल बचत हुआ तथा व्यय की कमी पर ₹ 5,76 करोड़ (5236$ ) का कम आकलन किया गया। मार्च 2011 में जमाओं के अव्ययित शेष के व्यपगत होने के फलस्वरूप राजस्व एवं पूंजी दोनों में आकलन से अधिक व्यय की कमी थी जैसा कि इस प्रकाशन के अनुच्छेद 1.6 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

सकल व्यय में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के द्वारा निकासी किया गया ₹ 6,72 करोड़ शामिल था जो कि विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के अभाव में वर्ष के अन्त तक अभी भी लंबित है।

वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 17,27 करोड़ लोक लेखे के अन्तर्गत व्यक्तिगत जमा लेखा को समेकित निधि से पुनः हस्तांतरित किया गया था। जिसका रख रखाव विशेष उद्देश्यों के लिए पदनामित प्रशासकों द्वारा किया जाता है। साधारणतः जमा लेखों के अन्तर्गत अव्ययित शेषों को वित्तीय वर्ष के

विस्तृत

विवरण यदि कोई है, तथा स्व व्यक्तिगत जमा लेखों में बकाया शेष केवल कोषागारों में ही उपलब्ध होगा, चूँकि वे ही इस प्रकार के अभिलेखों के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी हैं।

## 1.4 निधियों के स्रोत तथा उपयोग

### *1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम*

राज्य सरकारों को अपनी परिशोधित स्थिति को कायम रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थोपाय पेशगियों की सुविधा में बढ़ोतरी किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रख-रखाव में सम्मत न्यूनतम रोकड़ शेष (15 नवम्बर 2000 से प्रभावी ₹ 0.45 करोड़) [illegible]

### *निधि प्रवाह विवरण*

राज्य के पास ₹ 8,36 करोड़ का राजस्व अधिशेष एवं ₹ 21,11 करोड़ का राजकोषीय घाटा था जो सकल राज्य घरेलु उत्पाद (स॰रा॰घ॰उ॰) के क्रमश: 1$ तथा 2$ को दर्शाता है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय के 10$ को संस्थापित करता है।

इस घाटे को लोक ऋण (₹ 24, 46 करोड़) लोक लेखे में अभिवृद्धि (₹ 8,25 करोड़) तथा निवल अथ एवं अन्त रोकड़ शेष (₹ (–) 1,38 करोड़) से पूरा किया गया। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 1,87,81 करोड़) का लगभग 53$ बचनबद्ध व्यय जैसे वेतन (₹ 56,42 करोड़), ब्याज अदायगियाँ (₹ 22,28 करोड़) एवं पेंशन (₹ 20,81 करोड़) पर व्यय किया गया।

जहाँ कहीं भी दिखाया गया है उसके अतिरिक्त इस प्रकाशन में उपयोग में लाये गये स॰रा॰घ॰उ॰ ऑकड़े योजना एवं विकास विभाग (आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय), झारखण्ड सरकार से लिये गए हैं।

### निधियों के स्रोत तथा उपयोग

(करोड़ रुपयों में)

| | विवरण | राशि |
|---|---|---|
| स्रोत | 01/04/2010 को अथ रोकड़ शेष | (-) 7,53 |
| | राजस्व प्राप्तियाँ | 1,87,81 |
| | कर्ज एवं अग्रिम की वसूली | 24 |
| | लोक ऋण | 24,47 |
| | अंतर्राज्यीय परिशोधन | 1 |
| | लघु बचत भविष्य निधि एवं अन्य | 5,72 |
| | आरक्षित एवं निक्षेप निधियां | 0 |
| | जमा प्राप्ति | 35,58 |
| | सिविल अग्रिम पुनर्भुगतान | 1,12 |
| | उचंत लेखा | 4,57,51 |
| | प्रेषण | 32,98 |
| | आकस्मिकता निधि | 0 |
| | **कुल** | **7,37,91** |

(करोड़ रुपयों में)

| | विवरण | राशि |
|---|---|---|
| उपयोग | राजस्व व्यय | 1,79,45 |
| | पूंजी व्यय | 26,64 |
| | दिए गए कर्जे | 3,07 |
| | लोक ऋण व पुनर्भुगतान | 12,99 |
| | लघु बचत भविष्य निधि एवं अन्य | 4,67 |
| | आरक्षित एवं निक्षेप निधियां | 2,24 |
| | खर्च किए गए जमा | 30,97 |
| | दिए गए सिविल अग्रिम | 1,09 |
| | उचंत लेखा | 4,52,78 |
| | प्रेषण | 32,92 |
| | 31.03.2011 को अन्त रोकड़ शेष | (-) 8,91 |
| | **कुल** | **7,37,91** |

### *1.4.3 रूपये कहाँ से आए*

**वास्तविक प्राप्तियाँ**

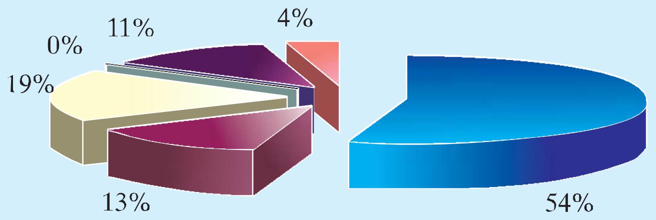


- कर राजस्व
- करेतर राजस्व
- सहायक अनुदान
- कर्ज एवं अग्रिम की वसूली
- लोक ऋण-आकस्मिकता निधि
- लोक लेखे

## 1.4.4 रूपये कहाँ गए

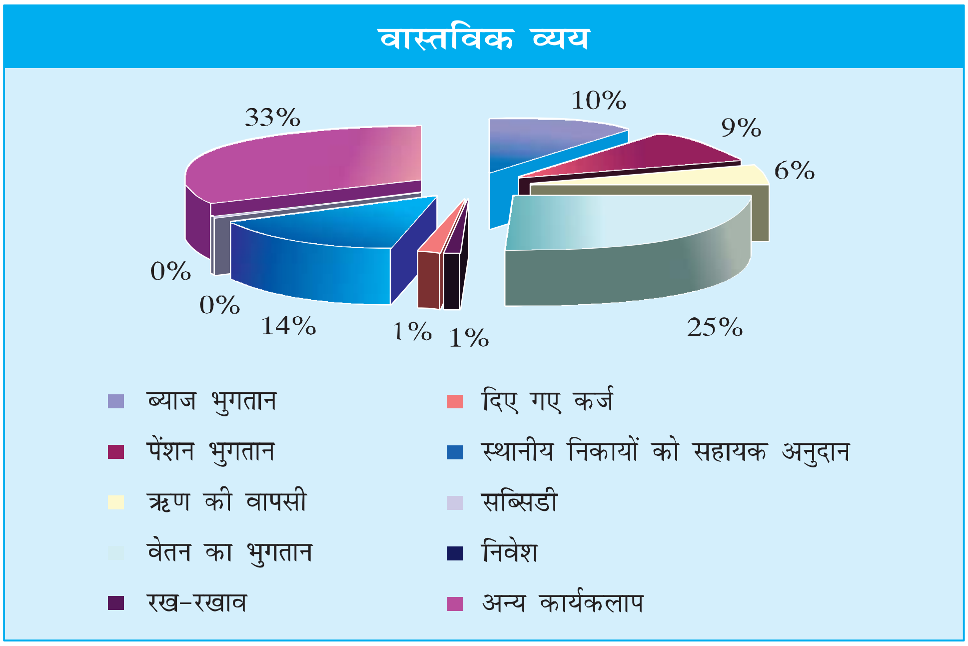


## 1.5 लेखे की विशिष्टता

(करोड़ रुपयों में)

| | ब॰प्रा॰ 2010-11 | वास्तविकी | वास्तविकी ब॰प्रा॰ की प्रतिशतता | स॰रा॰घ॰उ॰ की प्रतिशतता ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1. कर राजस्व (? ) | 1,23,07 | 1,18,71 | 96 | 11 |
| 2. करेतर राजस्व | 31,30 | 28,03 | 90 | 3 |
| 3. सहायक अनुदान एवं अंशदान | 46,65 | 41,07 | 88 | 4 |
| 4. राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3) | 2,01,02 | 1,87,81 | 93 | 17 |
| 5. कर्जे एवं अग्रिमों की वसूली | 17 | 24 | 141 | .... |
| 6. उधार एवं अन्य दायित्व (क) | 21,79 | 21,12 | 97 | 2 |
| 7. पूंजी प्राप्तियाँ (5+6) | 21,96 | 21,35 | 97 | 2 |
| 8. कुल प्राप्तियाँ (4+7) | 2,22,98 | 2,09,17 | 94 | 19 |
| 9. गैर-योजना व्यय (*) | 1,19,93 | 1,21,21 | 101 | 11 |
| 10. राजस्व लेखा पर गै॰यो॰व्यय | 1,03,84 | 1,19,41 | 115 | 11 |
| 11. 10 में से ब्याज भुगतान पर गै॰यो॰ व्यय | 21,35 | 22,28 | 104 | 2 |
| 12. पूंजी लेखा पर गै॰यो॰ व्यय | 16,09 | 1,80 | 11 | .... |
| 13. योजना व्यय (*) | 1,03,04 | 87,95 | 85 | 8 |
| 14. राजस्व लेखा पर योजना व्यय | 61,67 | 60,04 | 97 | 6 |
| 15. पूंजी लेखा पर योजना व्यय | 41,38 | 27,92 | 67 | 3 |
| 16. कुल व्यय (9+13) | 2,22,98 | 2,09,17 | 94 | 19 |
| 17. राजस्व व्यय (10+14) | 1,65,51 | 1,79,45 | 108 | 17 |
| 18. पूंजी व्यय (12+15) (#) | 57,47 | 29,72 | 52 | 3 |
| 19. राजस्व अधिशेष (4-17) | 35,51 | 8,36 | 24 | 1 |
| 20. राजकोषीय घाटा (4+5+16) | 21,79 | 21,12 | 97 | 2 |

(@) संघीय करों में राज्य का हिस्सा ₹ 61,54 करोड़ सम्मिलित है।

($) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का ₹ 10,84,01 करोड़ योजना एवं विकास (आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय) विभाग, झारखण्ड सरकार से लिया गया है।

(#) पूंजी लेखा पर व्यय में पूंजी व्यय (₹ 26,64 करोड़) एवं संवितरित कर्जे तथा अग्रिमों (₹ 308 करोड़) सम्मिलित है।

(*) व्यय में ₹ 1,37 करोड़ गैर-योजनान्तर्गत एवं ₹ 1,71 करोड़ योजनान्तर्गत सम्मिलित है जो कर्जे एवं अग्रिमों से संबंधित है।

(क) उधार एवं अन्य दायित्व : निवल लोक ऋण (प्राप्तियाँ-संवितरण) + निवल आकस्मिकता निधि + निवल लोक लेखा (प्राप्तियाँ-संवितरण) + निवल अथ एवं अन्त रोकड़ शेष

## 1.6 घाटा एवं अधिशेष क्या दर्शाता है?

| | |
|---|---|
| **घाटा** | राजस्व एवं व्यय के बीच के अन्तर को प्रकट करता है, घाटों के प्रकार, घाटा कैसे सम्पोषित हुआ तथा निधियों का उपयोग वित्तीय प्रबंधन में विवेक का महत्वपूर्ण सूचकांक है। |
| **राजस्व घाटा/ अधिशेष** | राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय के बीच के अन्तर को प्रकट करता है। राजस्व व्यय सरकार के वर्तमान स्थापना के रख-रखाव के लिए आवश्यक है तथा आर्दशत: राजस्व प्राप्तियों से ही उसे पूर्णत: पूरा किया जाना चाहिए। |
| **राजकोषीय घाटा/अधिशेष** | कुल प्राप्तियाँ (उधार को छोड़कर) तथा कुल व्यय के बीच के अन्तर को प्रकट करता है। इसलिए यह अन्तर उधारों द्वारा व्यय को किस सीमा तक सम्पोषित किया गया है, सूचित करता है। आर्दशत: उधारों को पूंजीगत परियोजनाओं में निवेशित किया जाना चाहिए। |

घाटा सूचकांक, राजस्व वृद्धि एवं व्यय प्रबंधन सरकार के राजकोषीय दक्षता को परखने का मुख्य मापदण्ड है।

13वीं वित्त आयोग ने अनुशंसा किया था कि वर्ष 2009-2010 तक राज्य के द्वारा राजस्व शेष तथा वर्ष 2010-2011 तक स॰रा॰घ॰उ॰ का 3$ तक सकल राजकोषीय घाटा में कमी की गई है। आर्थिक मंदी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पुन: राजकोषीय घाटा हेतु स्वीकार्य अधिसीमा वर्ष 2010-2011 में स॰रा॰घ॰उ॰ के अनुपात में 3.5$ तक एवं वर्ष- 2011-2012 में 3$ तक की छुट दी है।

राज्य सरकार अपने लक्ष्यों की प्राप्ति को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने राज्यों को समेकित ऋण एवं राहत सुविधा (डी॰सी॰आर॰एफ॰) में अभिवृद्धि की है जिसके तहत सफल राज्य सरकारें मूलधन एवं/अथवा ब्याज के पुनर्भुगतान पर राहत प्राप्त कर सकेंगे। तदोपरान्त झारखण्ड राज्य ने झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2011 में विस्तार करते हुए 31 मार्च 2012 के अन्त में स॰रा॰घ॰उ॰ का 3$ तक राजकोषीय घाटे में कमी करने के लिए राज्य सरकार वचनवद्ध है। वर्ष 2006-07 के अनुरूप ही राज्य सरकार द्वारा राजस्व अधिशेष के लक्ष्य को प्राप्त किया गया और उसके बाद भी इसे कायम रखा।[2] यद्यपि, राज्य सरकार एवं भारत सरकार के बीच स॰रा॰घ॰उ॰ में राजकोषीय घाटा की प्रतिशतता के परिकलन में मत भिन्नता है। राज्य सरकार के आकलन के दौरान स॰रा॰घ॰उ॰ में राजकोषीय घाटे के अनुपात[3] को वर्ष 2009-10 में 1.36$ (अंतरिम आंकड़ा) एवं 2.88$ (द्रूत आंकड़े) तथा वर्ष 2010-2011 में 3.96$ (बजट प्राक्कलन) की सीमा के बीच था।[4]

2 वर्ष 2009-2010 में राजस्व घाटा ₹ 10 करोड़ एवं वर्ष 2010-2011 में अधिशेष ₹ 8,36 करोड़ था।

3 वर्ष 2009-2010 में राजकोषीय घाटा ₹ 30,11 करोड़ एवं वर्ष 2010-2011 में ₹ 21,12 करोड़ था।

4 योजना एवं विकास विभाग के अनुसार झारखण्ड सरकार का वर्ष 2009-2010 में ₹ 8,30,78 करोड़ (अंतरिम आंकड़े) एवं ₹ 9,75,19 करोड़ (द्रूत आंकड़े) तथा वर्ष 2010-11 में ₹ 10,84,01 करोड़ (अग्रिम आंकड़े) के बीच सकल राज्य घरेलू उत्पाद रहा जबकि 13वीं वित आयोग के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, जैसा कि भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया, वर्ष 2010-2011 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 11,22,68 करोड़ था।

### *1.6.1 राजस्व घाटा/अधिशेष की प्रवृति*

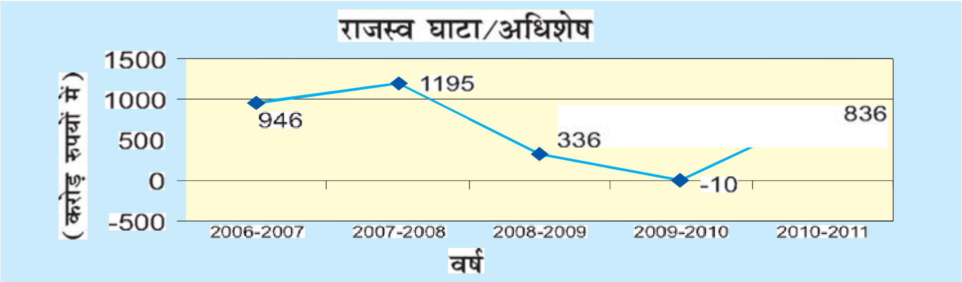


### *1.6.2 राजकोषीय घाटा की प्रवृति*

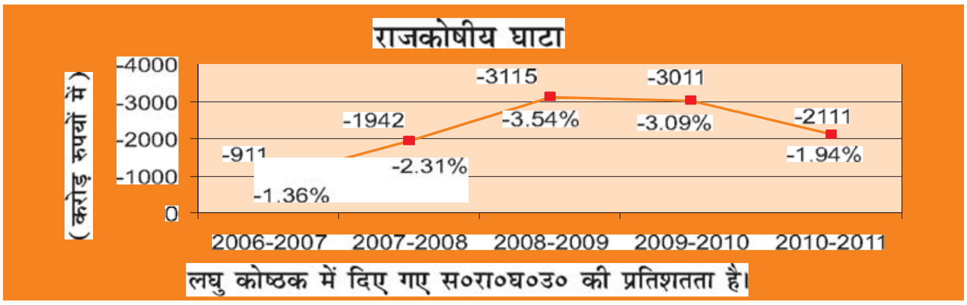


### *1.6.3 पूंजी व्यय पर खर्च हेतु उधार लिए गए निधियों का अनुपात*

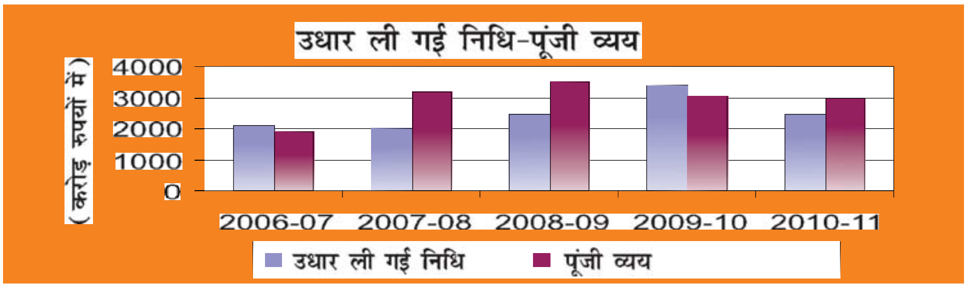


यह अपेक्षा की जाती है कि पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु उधार ली गयी निधियों का पूर्णतः उपयोग किया जाय तथा मूलधन एवं ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु राजस्व प्राप्तियों का उपयोग हो।

वर्ष 2010-2011 के दौरान राज्य सरकार ने चालू वर्ष के उधारों से अपने पूंजीगत व्यय के लिए (₹ 24,47 करोड़) तथा पूंजीगत व्यय पर राजस्व अधिशेष (₹ 8,36 करोड़) सम्पोषित किया।

# अध्याय-2

## प्राप्तियाँ

### 2.1 भूमिका

सरकार की प्राप्तियों को दो भागों यथा राजस्व प्राप्तियाँ तथा पूंजीगत प्राप्तियाँ में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2010-2011 के लिए कुल प्राप्तियाँ ₹ 2,12,53 करोड़ था।

### 2.2 राजस्व प्राप्तियाँ

| | |
|---|---|
| **कर राजस्व** | भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 (3) के अधीन संघीय करों में राज्य का हिस्सा स [illegible] |
| **करेतर राजस्व** | ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश, लाभ इत्यादि शामिल है। |
| **सहायक अनुदान** | अनिवार्यत: संघीय सरकार से राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में मिलने वाली राशि विदेशी सरकारों से प्राप्त होने वाली बाह्य अनुदान सहायता एवं सहायता उपस्कर एवं सामग्री जिसे संघीय सरकार के माध्यम से विभिन्न सरकारों को उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही राज्य सरकार भी संस्थाओं यथा-पंचायती राज संस्थान, स्वायतशासी निकायों आदि को सहायक अनुदान देती है। |

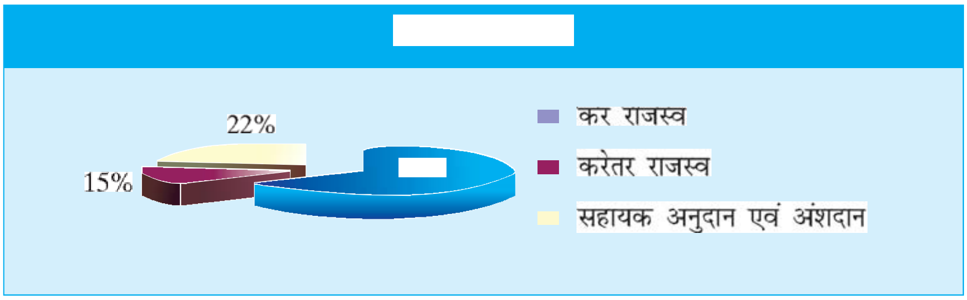


**राजस्व प्राप्तियाँ का घटक (2010-2011)**

(करोड़ रुपयों में)

| घटक | वास्तविकी |
|---|---|
| **क. कर राजस्व** | **1,18,71** |
| आय तथा व्यय पर कर | 36,77 |
| सम्पति एवं पूंजीगत संव्यवहारों पर कर | 4,64 |
| वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर | 77,30 |

| घटक | वास्तविकी |
|---|---|
| **ख. करेतर राजस्व** | **28,03** |
| ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा लाभ | 99 |
| सामान्य सेवायें | (*) 3,09 |
| सामाजिक सेवायें | 1,27 |
| आर्थिक सेवायें | 22,68 |
| **ग. सहायक अनुदान एवं अंशदान** | **41,07** |
| **कुल राजस्व प्राप्तियाँ** | **1,87,81** |

( ) ) वर्ष 2010-11 में भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत भूमि एवं सम्पत्ति की बिक्री से आगमों के लिए ₹ 1,60 करोड़ तथा ऋण राहत की वापसी हेतु ₹ 1,05 करोड़ शामिल है।

## 2.3 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(करोड़ रुपयों में)

| | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| **कर राजस्व** | 72,40<br>(11) | 85,84<br>(10) | 91,45<br>(10) | 1,00,48<br>(10) | 1,18,71<br>(11) |
| **करेतर राजस्व** | 12.50<br>(2) | 16.01<br>(2) | 19,52<br>(2) | 22.54<br>(2) | 28,03<br>(3) |
| **सहायक अनुदान** | 15.20<br>(2) | 18.42<br>(2) | 21,16<br>(2) | 28.17<br>(3) | 41,07<br>(4) |
| **कुल राजस्व प्राप्तियाँ** | 1,00,10<br>(15) | 1,20,27<br>(14) | 1,32,13<br>(15) | 1,51,18<br>(16) | 1,87,81<br>(17) |
| **स०रा०घ०उ०** | 6,69,35* | 8,39,50* | 8,80,11<br>(पी०)* | 9,75,19<br>(क्यू०)* | 10,84,01<br>(ए०) |

) सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पुनरीक्षित आँकड़ो को योजना एवं विकास (आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय) झारखण्ड सरकार से लिया गया है।

(पी॰) अंतरिम आकलन (क्यू॰) द्रुत आकलन (ए॰) अग्रिम आकलन

**टिप्पणी :** लघु कोष्ठक में आँकड़े स॰रा॰घ॰उ॰, जो कि पूर्णांकित आंकड़े के रूप में है, की प्रतिशतता को प्रदर्शित करता है।

वर्ष 2010-11 के दौरान राजस्व संग्रह में 24$ की वृद्धि थी जबकि वर्ष 2009-2010 एवं 2010-2011 के बीच स॰रा॰घ॰उ॰ में वृद्धि मात्र 11$ तक ही सीमित था। कर राजस्व में 18$ की वृद्धि हुई तथा पुलिस (₹ 12 करोड़), जेल (₹ 3 करोड़), विविध सामान्य सेवाएं (₹ 2,66 करोड़) के अन्तर्गत महत्वपूर्ण संग्रह के बावजूद 24$ की कमी हुई। करेतर राजस्व के अन्तर्गत कमी मुख्यत: उद्योग (₹ 34 करोड़), अलौह-खनन तथा धातुकर्म उद्योग (₹ 20,56 करोड़) था। कर घटकों जैसे-बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 44,73 करोड़), राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 3,88 करोड़) एवं वाहन कर (₹ 3,12 करोड़) के अन्तर्गत राज्य का स्व राजस्व उच्च प्रवृति को दर्शाता है।

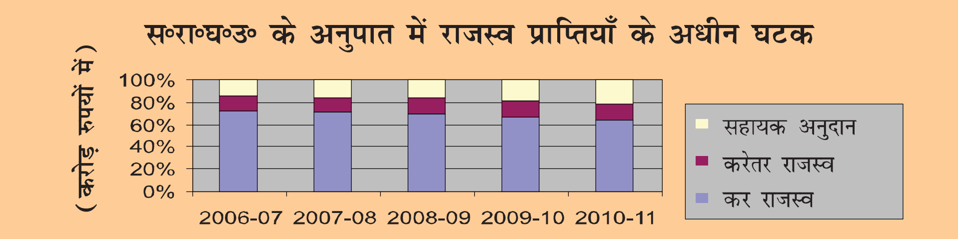


**खण्डवार - कर राजस्व** (करोड़ रुपयों में)

| | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| आय तथा व्यय पर कर | 20,32 | 27,10 | 28,78 | 35,55 | 36,77 |
| सम्पति तथा पूंजीगत-संव्यवहारों पर कर | 1,60 | 1,84 | 2,47 | 2,85 | 4,64 |
| वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर | 50,48 | 56,89 | 60,20 | 62,08 | 77,30 |
| कुल कर राजस्व | 72,39 | 85,83 | 91,45 | 1,00,48 | 1,18,71 |

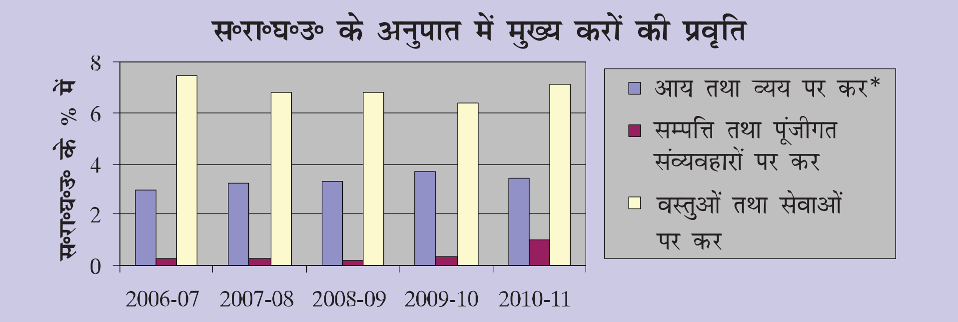


()) मुख्यत: राज्य को केन्द्रीय हिस्से का निवल आगम

## 2.4 राज्य की स्व कर राजस्व संग्रहण का प्रदर्शन

(करोड़ रुपयों में)

| वर्ष | कर राजस्व | संघीय करों में राज्य का हिस्सा | राज्य का स्व कर राजस्व | |
|---|---|---|---|---|
| | | | राशि | स०रा०घ०उ० की प्रतिशतता |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2006-2007 | 72,39 | 40,51 | 31,89 | 4.76 |
| 2007-2008 | 85,83 | 51,10 | 34,74 | 4.14 |
| 2008-2009 | 91,45 | 53,92 | 37,53 | 4.26 |
| 2009-2010 | 1,00,48 | 55,48 | 45,00 | 4.61 |
| 2010-2011 | 1,18,71 | 61,54 | 57,17 | 5.27 |

13वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 6.26% के लक्ष्य से राज्य स्व कर राजस्व (5.09%), सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में प्रत्यक्ष रूप से कम है।

## 2.5 कर संग्रहण की दक्षता

### *क सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर*

(करोड़ रुपयों में)

| | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| राजस्व संग्रहण | 1,60 | 1,84 | 2,47 | 2,85 | 4,64 |
| संग्रहण पर व्यय | 82 | 1,00 | 1,38 | 1,61 | 1,57 |
| कर संग्रहण की दक्षता | 51% | 54% | 56% | 57% | 34% |

### *ख वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर*

(करोड़ रुपयों में)

| | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| राजस्व संग्रहण | 50,48 | 56,89 | 60,20 | 62,08 | 77,30 |
| संग्रहण पर व्यय | 25 | 27 | 40 | 50 | 59 |
| कर संग्रहण की दक्षता | 0.5% | 0.5% | 0.7% | 0.8% | 0.8% |

वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर एक प्रकार से कर राजस्व का मुख्य भाग है। कर संग्रहण की मात्रा को बढ़ाने की आवश्यकता है।

## 2.6 विगत पाँच वर्षों के दौरान संघीय करों में राज्य का हिस्सा की प्रवृति

(करोड़ रुपयों में)

| मुख्य शीर्ष का वर्णन | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| निगम कर | 12,64 | 16,22 | 17,68 | 22,83 | 24,06 |
| निगम कर से भिन्न आय पर कर | 7,68 | 10,88 | 11,10 | 12,72 | 12,71 |
| धन कर | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| सीमा शुल्क | 7,90 | 9,66 | 10,31 | 7,76 | 10,76 |
| संघ उत्पाद शुल्क | 8,39 | 9,22 | 8,99 | 6,25 | 7,83 |
| सेवा कर | 3,89 | 5,10 | 5,83 | 5,86 | 6,14 |
| वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क | ... | ... | ... | ... | ... |
| **संघीय करों में राज्य का हिस्सा** | **40,51** | **51,10** | **53,92** | **55,48** | **61,54** |
| **कुल कर राजस्व** | **72,39** | **85,83** | **91,45** | **1,00,48** | **1,18,71** |
| **कुल कर राजस्व की संघीय करों की प्रतिशतता** | **56%** | **60%** | **59%** | **55%** | **52%** |

सेवा करों का हिस्सा, जो कि वर्ष 2010-2011 में 3.40$ है, के अतिरिक्त झारखण्ड सरकार ने वर्ष 2006-07 से 2009-10 की अवधि के दौरान हिस्सा योग्य संघीय करों के निवल आगमों का 3.36$ तथा वर्ष 2010-11 में 2.80$ प्राप्त किया।

समय-समय पर भारत सरकार द्वारा विशिष्ट मदों पर कर की दरों को कम करने के कारण मुख्यत: संघ उत्पाद शुल्कों में राज्य के हिस्से में ह्रास हुआ है।

## 2.7 सहायक अनुदान

सहायक अनुदान भारत सरकार से सहायता को इंगित करता है जिसमें योजना आयोग द्वारा अनुमोदित राज्य योजनागत योजनाओं, केन्द्रीय योजनागत योजनाओं एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राज्य के गैर-योजनाओं के लिए अनुदान शामिल है। सहायक अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 2010-2011 के दौरान कुल प्राप्तियाँ ₹ 41,07 करोड़ था जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

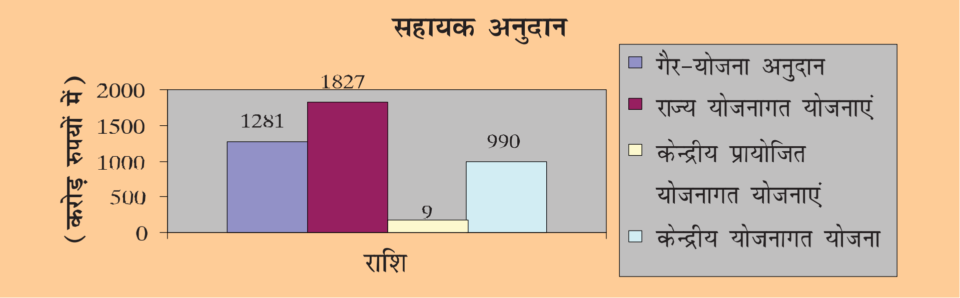

तथा

वर्ष 2010-2011 में 31$ का ह्रास हुआ तथा योजनागत योजनाओं हेतु अनुदानों के हिस्से में वर्ष 2009-10 में 59$ तथा 2010-2011 में 69$ की अभिवृद्धि हुई। ₹ 46,65 करोड़ के संघीय हिस्से के बजट प्राक्कलन के विरूद्ध वास्तव में राज्य सरकार ने ₹ 41,07 करोड़ का सहायक अनुदान (बजट प्राक्कलन का 88$ ) व्यय किया।

## 2.8 लोक ऋण

*विगत पाँच वर्षों में लोक ऋण की प्रवृति*

(करोड़ रुपयों में)

| विवरणी | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| आन्तरिक ऋण | 20,79 | 20,09 | 24,34 | 33,79 | 23,15 |
| केन्द्रीय कर्जे | 17 | 14 | 3 | (-) 10 | 1,32 |
| कुल लोक ऋण | 20,96 | 20,23 | 24,37 | 33,69 | 24,47 |

**टिप्पणी :** नकारात्मक आँकड़ा यह सूचित करता है कि पुनर्भुगतान प्राप्तियों से अधिक किया गया है।

वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 5,00 करोड़ के एक राज्य विकास ऋण उगाहे गए, जो 8.28 प्रतिशत की दर पर ब्याज वाले ऋण थे। ये ऋण 2020 में विमोच्य हैं।

वर्ष 2010-2011 में राज्य सरकार का कुल ₹ 23,15 करोड़ का आन्तरिक ऋण के साथ-साथ इस अवधि के दौरान प्राप्त ₹1,32 करोड़ का केन्द्रीय ऋण संघटक के विरूद्ध मात्र ₹ 29,71 करोड़ का पूंजीगत व्यय यह इंगित करता है कि राजस्व प्राप्तियाँ से व्यय किया गया था।

## अध्याय-3

# व्यय

### 3.1 भूमिका

व्यय को राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व व्यय का उपयोग किसी संगठन के दिन-प्रतिदिन के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। पूंजीगत व्यय का उपयोग स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण अथवा ऐसी परिसंपत्तियों की उपयोगिता में वृद्धि अथवा स्थायी दायित्वों में कमी के लिए किया जाता है।

व्यय को अग्रेतर योजना एवं गैर-योजना के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

| | |
|---|---|
| **सामान्य सेवाएं** | न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण विभाग एवं पेंशन इत्यादि शामिल है। |
| **सामाजिक सेवाएं** | शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल पूर्त्ति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों का कल्याण इत्यादि शामिल है। |
| **आर्थिक सेवाएं** | कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, उर्जा, उद्योग एवं परिवहन इत्यादि शामिल है। |

### 3.2 राजस्व व्यय

गैर-योजना व्यय के अन्तर्गत ₹ 15,57 करोड़ के अधिक भुगतान के कारण वर्ष 2010-2011 में ₹ 1,79,45 करोड़ का राजस्व व्यय, जो बजट प्राक्कलन से ₹ 13,94 करोड़ अधिक हुआ तथा योजना व्यय के अंतर्गत ₹ 1,63 करोड़ से आंशिक रूप से प्रति संतुलित हुआ।

विगत पाँच वर्षों के दौरान राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत बजट प्राक्कलन के विरूद्ध व्यय में ह्रास/आधिक्य को नीचे दर्शाया गया है :-

(करोड़ रुपयों में)

| | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| **बजट प्राक्कलन** | 1,50,21 | 1,60,41 | 1,80,79 | 2,21,83 | 1,65,51 |
| **वास्तविकी** | 1,09,36 | 1,40,13 | 1,63,46 | 1,81,51 | 1,79,45 |
| **अन्तर (–)बचत/(+) आधिक्य** | (-) 40,85 | (-) 20,28 | (-) 17,33 | (-) 40,32 | (+) 13,94 |
| **बजट प्राक्कलन के ऊपर अन्तर की प्रतिशतता** | (-) 27 | (-) 13 | (-) 10 | (-) 18 | (+)8 |

बजट प्राक्कलन के विरूद्ध कुल व्यय राजस्व प्राप्तियाँ का 8% हुआ।

### 3.2.1 राजस्व व्यय (2010-11) का खण्डवार वितरण

(करोड़ रुपयों में)

| संघटक | राशि | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| क. राजकोषीय सेवायें | | |
| (I) सम्पत्ति एवं पूंजीगत लेन-देनों पर करों का संग्रहण | 1,57 | 1 |
| (ii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण | 59 | .... |
| (iii) अन्य राजकोषीय सेवायें | 2 | .... |
| ख. राज्य के अंग | 2,74 | 2 |
| ग. ब्याज अदायगियाँ एवं ऋण शोधन कार्य | 22,28 | 12 |
| घ. प्रशासनिक सेवायें | 21,91 | 12 |
| च. पेंशन एवं विविध सामान्य सेवायें | 20,81 | 12 |
| छ. सामाजिक सेवायें | 67,07 | 37 |
| ज. आर्थिक सेवायें | 42,46 | 24 |
| झ. सहायक अनुदान एवं अंशदान | .... | .... |
| **कुल व्यय** (राजस्व लेखा) | 1,79,45 | 100 |

### 3.2.2. राजस्व व्यय (2006-2011) के मुख्य घटक

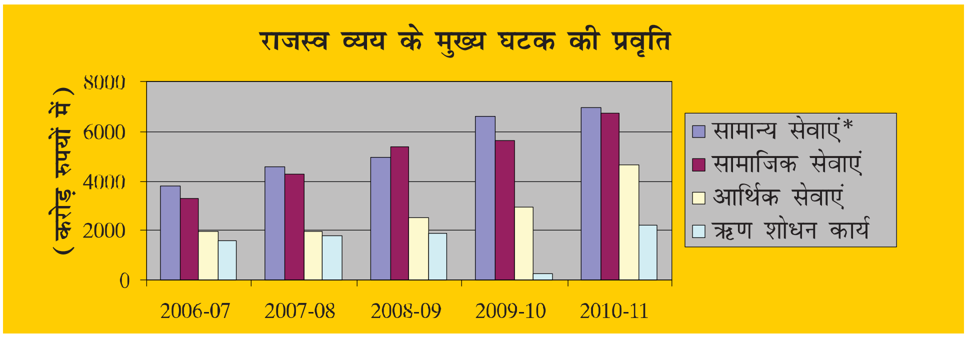


*मुख्य शीर्ष 2048 (ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन) मुख्य शीर्ष 2049 (ब्याज अदायगियाँ) को छोड़कर तथा मुख्य शीर्ष 3604 (स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन) को शामिल कर सामान्य सेवाएँ

आर्थिक सेवाओं पर व्यय (जिसमें महत्वपूर्ण खण्डों जैसे-ग्रामीण विकास, कृषि एवं सिंचाई शामिल है) अन्य सेवाओं में नियमित वृद्धि के विरूद्ध नीचे गया है।

## 3.3 पूंजीगत व्यय

वर्ष 2010-11 में योजना व्यय के अधीन ₹ 13,47 करोड़ एवं गैर-योजना के अधीन ₹ 14,29 करोड़ कम व्यय के कारण पूंजी व्यय, बजट प्राक्कलन ₹ 27,76 करोड़ स॰ रा॰ घ॰ उ॰ का 3% था।

### *3.3.1 पूंजीगत व्यय का खण्डवार वितरण*

वर्ष 2010-11 के दौरान सरकार ने चिकित्सा एवं परिवार कल्याण पर ₹1,43 करोड़, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर ₹ 1,88 करोड़ तथा सड़क एवं सेतु पर ₹ 6,71 करोड़ खर्च किया।

(करोड़ रुपयों में)

| क्रम सं० | खण्ड | रुपया | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| 1. | **सामान्य सेवायें** - पुलिस, भू-राजस्व इत्यादि | 1,20 | 4 |
| 2. | **सामाजिक सेवायें**-शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलापूर्ति, अनुसूचित जाति/जनजाति का कल्याण आदि। | 6,82 | 23 |
| 3. | **आर्थिक सेवायें**-कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, उर्जा, उद्योग एवं परिवहन इत्यादि। | 18,62 | 63 |
| 4. | कर्ज एवं अग्रिम संवितरित | 3,07 | 10 |
| | **कुल** | 29,71 | 100 |

### *3.3.2 विगत पाँच वर्षों के दौरान पूंजीगत व्यय का खण्डवार वितरण*

(करोड़ रुपयों में)

| क्रम सं० | खण्ड | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सामान्य सेवाएं | 72 | 1,08 | 1,76 | 1,13 | 1,20 |
| 2. | सामाजिक सेवाएं | 4,95 | 8,32 | 13,55 | 8,25 | 6,82 |
| 3. | आर्थिक सेवाएं | 8,94 | 16,44 | 15,20 | 17,66 | 18,62 |
| 4. | कर्ज एवं अग्रिम | 4,11 | 5,97 | 4,18 | 3,19 | 3,07 |
| | **कुल** | 18,72 | 31,81 | 34,69 | 30,23 | 29,71 |

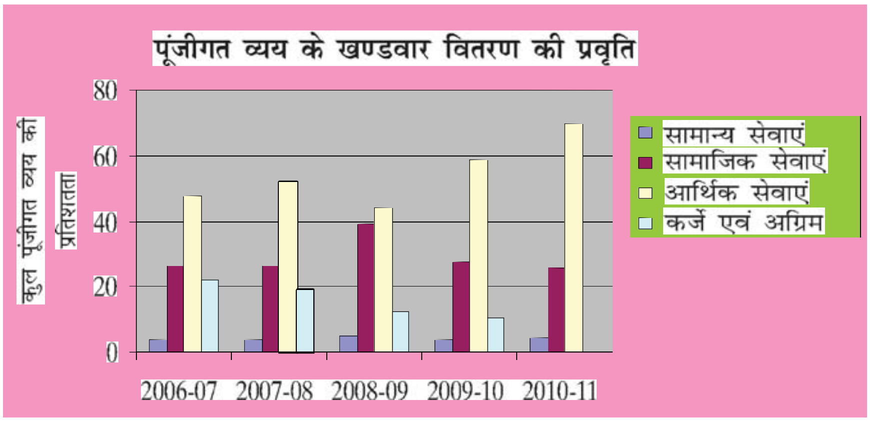

# अध्याय-4

## योजना एवं गैर-योजना व्यय

### 4.1. व्यय का वितरण ( 2010-2011 )

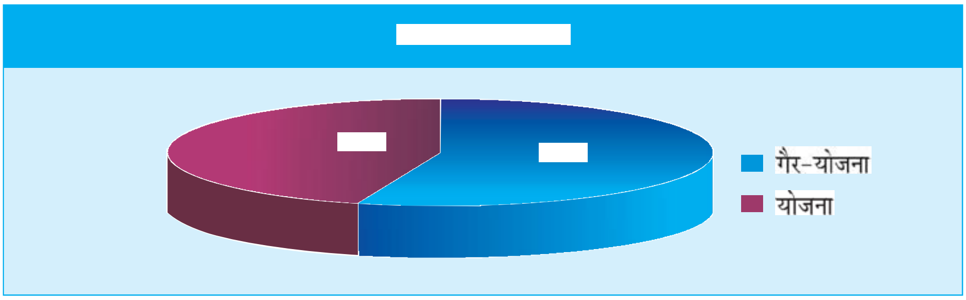


### 4.2 योजना व्यय

वर्ष 2010-11 के दौरान, योजना व्यय (₹78,07 करोड़ राज्य योजना के अधीन, ₹ 5,90 करोड़ केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना ₹ 2,27 करोड़ केन्द्रीय योजनागत योजना एवं ₹ 1,71 करोड़ कर्ज एवं अग्रिम के अधीन) कुल संवितरण ₹ 87,95 करोड़ का 42 प्रतिशत था।

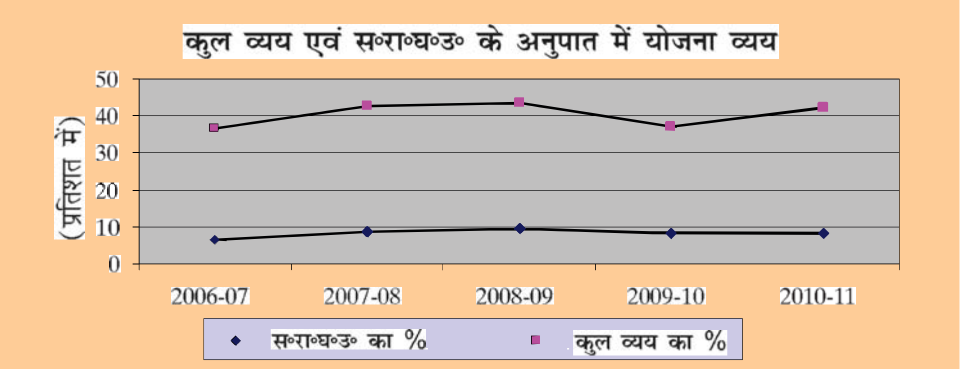


### *4.2.1 पूंजी लेखा के अन्तर्गत योजना व्यय*

(करोड़ रुपयों में)

| | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल पूंजी व्यय | 18,72 | 31,81 | 34,69 | 30,23 | 29,71 |
| कुल व्यय (योजना) | 15,80 | 29,74 | 32,70 | 29,74 | 27,91 |
| कुल पूंजी व्यय का पूंजी व्यय (योजना)की प्रतिशतता | 84 | 93 | 94 | 98 | 94 |

## 4.3 गैर-योजना व्यय

वर्ष 2010-11 के दौरान, गैर-योजना ( ₹ 1,19,41 करोड़ राजस्व के अधीन एवं ₹ 1,80 करोड़ पूंजी के अधीन) कुल संवितरण ₹ 1,21,21 करोड़ का 58 प्रतिशत था।

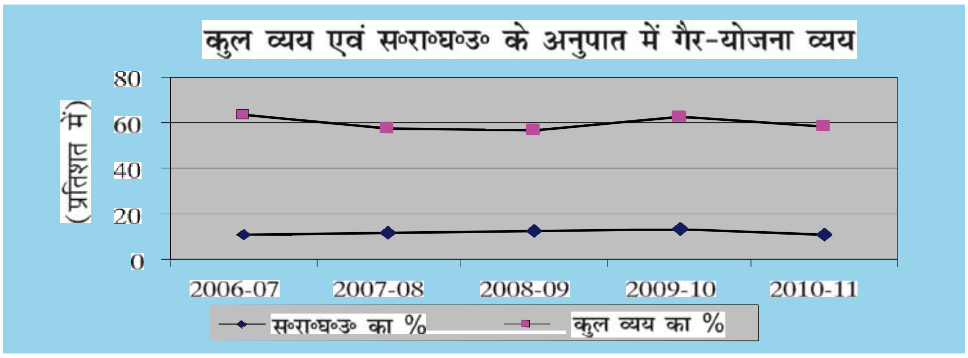


## 4.4 वचनबद्ध व्यय

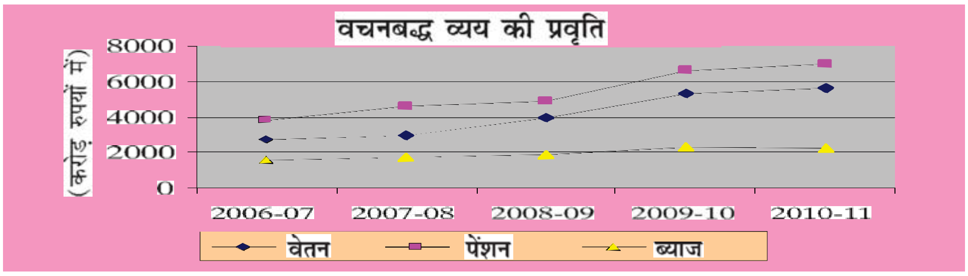


(करोड़ रुपयों में)

| संघटक | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| वचनबद्ध व्यय | 50,37 | 55,61 | 68,23 | 93,30 | 99,51 |
| राजस्व व्यय | 90,64 | 1,08,32 | 1,28,77 | 1,51,28 | 1,79,45 |
| राजस्व प्राप्तियाँ | 1,00,10 | 1,20,27 | 1,32,13 | 1,51,18 | 1,87,81 |
| राजस्व प्राप्तियाँ का वचनबद्ध व्यय की प्रतिशतता | 50 | 46 | 52 | 62 | 53 |
| राजस्व व्यय का वचनबद्ध व्यय की प्रतिशतता | 56 | 51 | 53 | 62 | 55 |

वचनबद्ध व्यय में अत्यधिक वृद्धि सरकार को विकासात्मक खर्च में कम लचीलापन लाने के लिए बाध्य करता है। यद्यपि, सरकार ने वर्ष 2009-10 की तुलना में व्यय में न्यूनतम कमी की है।

अध्याय-5

# विनियोग लेखे

## 5.1 वर्ष 2010-11 के लिए विनियोग लेखे का सारांश

(करोड़ रुपयों में)

| क्रम सं॰ | व्यय की प्रकृति | मूल अनुदान | अनुपूरक | पुनर्विनियोग | कुल | कुल व्यय | बचत (-) अधिक व्यय(+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | राजस्व | | | | | | |
| | दत्तमत | 1,43,75 | 39,13 | ... | 1,82,88 | 1,62,03 | (-) 20,85 |
| | प्रभारित | 21,76 | 33 | ... | 22,09 | 22,76 | (+) 67 |
| 2. | पूंजी | | | | | | |
| | दत्तमत | 38,26 | 6,05 | ... | 44,31 | 27,17 | (-) 17,14 |
| | प्रभारित | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3. | लोक ऋण प्रभारित | 15,06 | 38 | ... | 15,44 | 12,99 | (-) 2,45 |
| 4. | कर्ज एवं अग्रिम | 4,15 | 27 | ... | 4,42 | 3,08 | (-) 1,34 |
| | कुल | 2,22,98 | 46,16 | ... | 2,69,14 | 2,28,03 | (-)41,11 |

## 5.2 विगत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य या अधिक व्यय की प्रवृति

(करोड़ रुपयों में)

| वर्ष | बचत( – ) अधिक व्यय ( + ) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | राजस्व | पूंजी | लोक ऋण | कर्ज एवं अग्रिम | कुल |
| 2006-07 | (-) 25,82 | (-) 18,55 | (+) 4,12 | (-) 10,19 | (-) 50,44 |
| 2007-08 | (-) 33,79 | (-) 9,50 | (+) 92 | (-) 1,13 | (-) 43,50 |
| 2008-09 | (-) 27,76 | (-) 13,43 | (+) 2,30 | (-) 4,01 | (-) 42,90 |
| 2009-10 | (-) 46,56 | (-) 15,07 | (+) 1,17 | (-) 3,90 | (-) 64,36 |
| 2010-11 | (-) 20,18 | (-) 17,41 | (-) 2,45 | (-) 1,07 | (-) 41,11 |

## 5.3 महत्वपूर्ण बचत

किसी अनुदान के अधीन पर्याप्त बचत यह दर्शाता है कि किसी खास योजनाओं/कार्यक्रमों का या तो कार्यान्वयन नहीं किया गया या मन्द गति से कार्यान्वयन किया गया।

कुछ अनुदानों के निरंतर एवं महत्वपूर्ण बचतें नीचे दिए गए हैं:-

| अनुदान | नामकरण | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कृषि विभाग | 24% | 44% | 70% | 44% | 39% |
| 10 | उर्जा विभाग | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] एवं भूतत्त्व विभाग | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

जहाँ वर्ष 2010-2011 के दौरान कुछ मामलों में कुल ₹ 8,21 करोड़ (कुल व्यय का 4%) का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक साबित हुआ। वहीं वर्ष के अन्त में मूल आवंटन के विरूद्ध भी पर्याप्त बचत पाया गया। कुछ मामले नीचे दिए गए हैं :-

(करोड़ रुपयों में)

| अनुदान | नामकरण | प्रभाग | मूल | अनुपूरक | वास्तविक व्यय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कृषि विभाग | राजस्व | 4,61 | 6 | 2,85 |
| 2 | पशुपालन एवं मत्स्य विभाग | राजस्व | 2,02 | 9 | 1,65 |
| 10 | उर्जा विभाग | राजस्व | 7,43 | 1,50 | 5,47 |
| | | पूंजी | 3,88 | 20 | 2,75 |
| 19 | वन एवं पर्यावरण विभाग | राजस्व | 2,60 | 31 | 2,23 |
| 20 | स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग | राजस्व | 8,00 | 42 | 6,64 |
| | | पूंजी | 2,19 | 10 | 1,43 |

(करोड़ रुपयों में)

| अनुदान | नामकरण | प्रभाग | मूल | अनुपूरक | वास्तविक व्यय |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग | राजस्व | 7,26 | 57 | 6,35 |
| 36 | पेयजल एवं स्वच्छता विभाग | पूंजी | 3.00 | 45 | 2.67 |
| 40 | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | राजस्व | 2,19 | 25 | 2,16 |
| 41 | पथ निर्माण विभाग | पूंजी | 6,97 | 1,20 | 6,70 |
| 42 | ग्रामीण विकास विभाग | पूंजी | 6,32 | 2,00 | 5,95 |
| 48 | शहरी विकास एवं आवास विभाग | पूंजी | 6,87 | 7 | 37 |
| 49 | जल संसाधन विभाग | राजस्व | 2,25 | 15 | 2,08 |
| 51 | कल्याण विभाग | राजस्व | 12,52 | 37 | 10,80 |
| | | पूंजी | 2,28 | 47 | 1,66 |

# परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व

## 6.1 परिसम्पत्तियाँ

वर्त्तमान लेखा पद्धति में अधिग्रहण/क्रय के वर्ष के अतिरिक्त सरकारी परिसम्पत्तियों जैसे-भूमि, भवन इत्यादि के मूल्यांकन का चित्रण सहजतापूर्वक नहीं होता है। इसी प्रकार लेखे जहाँ चालू वर्ष में प्रकट होने वाले दायित्वों के प्रभाव को दर्शाता है वहीं ब्याज की दर तथा ऋणों की वर्त्तमान अवधि द्वारा सीमित सीमा तक दर्शाये जाने के अतिरिक्त आने वाली पीढ़ियों के लिए दायित्वों के सम्पूर्ण प्रभाव का चित्रण नहीं होता है।

वर्ष 2010-2011 के दौरान सरकार ने ₹ 6 करोड़ का निवेश किया एवं ₹ 0.40 करोड़ प्राप्त किया।

31 मार्च 2010 को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रोकड़ शेष ₹ (-) 7,53 करोड़ था जो मार्च 2011 के अन्त में घटकर ₹ (-) 8,91 करोड़ हो गया।

## 6.2 ऋण एवं दायित्व

वर्ष 2010-2011 के अन्त में बकाया लोक ऋण ₹ 2,32,99 करोड़ था जिसमें ₹ 2,11,32 करोड़ आंतरिक ऋण तथा ₹ 21,67 करोड़ केन्द्रीय सरकार से कर्ज एवं अग्रिमों का शामिल था। इसके अतिरिक्त लोक लेखा के अन्तर्गत लेखांकित दायित्वों का ₹ 53,56 करोड़ था। लघु बचत संग्रहण, भविष्य निधि तथा जमा जैसे-निक्षेपों के संबंध में राज्य भी एक बैंकर और न्यासी के जैसा कार्य करता है। वर्ष 2010-2011 के दौरान ₹ 5,66 करोड़ का एक समग्र वृद्धि राज्य सरकार के ऐसे दायित्वों के संबंध में था। ऋण पर ब्याज अदायगियां और अन्य दायित्वों में कुल ₹ 22,28 करोड़ था, जो ₹ 1,79,45 करोड़ के राजस्व व्यय का 12.42$ है।

आन्तरिक ऋणों पर ब्याज अदायगियां ₹ 18,36 करोड़ अन्य आन्तरिक ऋण पर (₹ 3,31 करोड़ राज्य सरकार द्वारा उगाही गई ब्याज कर्जे पर ₹ 6,09 करोड़, विशेष प्रतिभूतियां जैसे राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय आय बचत निधि पर ₹ 8,94 करोड़ तथा अन्य दायित्वों पर ₹ 2 करोड़) वर्ष 2010-2011 के दौरान ब्याज अदायगियों के कारण व्यय में ₹ 79 करोड़ का ह्रास हुआ। वर्ष 2010-2011 के दौरान ₹ 23,15 करोड़ के आन्तरिक ऋण की उगाही की गयी थी जिसका उपयोग मुख्यत: ₹ 10,63 करोड़ के ऋण दायित्वों तथा ₹ 18,36 करोड़ ब्याज अदायगी के निर्वहन में किया गया।

### निवेश एवं वापसियां

वर्ष 2010-2011 के अन्त में सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों इत्यादि में पूंजीगत हिस्सा के रूप में कुल निवेश ₹ 1,29 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 0.40 करोड़ (अर्थात् 7$ ) के निवेश पर लाभांश प्राप्त हुआ। जबकि सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों इत्यादि में निवेश में ₹ 6 करोड़ की अभिवृद्धि हुई।

## 6.3 प्रत्याभूति

राज्यों,

बिहार और झारखण्ड के बीच अभी तक नहीं हुआ है (अक्टूबर 2011) राज्य सरकार के राजकोषीय शोधन पथ से यह उजागर होता है कि मार्च 2011 के अन्त तक सरकार द्वारा दिये गये प्रतिभूतियों के रूप में ₹ 5,00 करोड़ बकाया था। कोई भी अग्रेतर विवरण उपलब्ध नहीं था।

# अन्य मदें

## 7.1 आंतरिक ऋण के अधीन शेष

राज्य सरकारों का उधार भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के द्वारा शामिल होता है। लिये गये प्रत्यक्ष कर्जों के अतिरिक्त विभिन्न योजनागत योजनाओं तथा कार्यक्रमों, जो राज्य बजट से बहिर्विष्ट होते हैं, का क्रियान्वयन हेतु बाजार एवं वित्तीय संस्थानों से सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा उठाये गए कर्जों को भी राज्य सरकारें गारंटी देती है। इन कर्जों को संबंधित प्रशासकीय विभागों की प्राप्तियों के जैसा प्रतिपादित किया जाता है जो सरकार की पुस्तकों में प्रकट नहीं होता है। मार्च 2011 के आंतरिक ऋण के अधीन शेष ₹ 2,11,31 करोड़ था।

## 7.2 राज्य सरकार द्वारा कर्ज एवं अग्रिम

वर्ष 2010-2011 के अन्त में राज्य सरकार द्वारा लिया गया कुल कर्जे एवं पेशगियाँ ₹ 70 करोड़ था। इसमें से सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर-सरकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों को कर्जे एवं पेशगियाँ ₹ 65 करोड़ था। 31 मार्च 2011 के अन्त में मूलधन एवं ब्याज की वापसी ₹ 0.24 करोड़ तथा ₹ 6,47 करोड़ का बकाया है।

## 7.3 स्थानीय निकायों एवं अन्यान्य को वित्तीय सहायता

विगत तीन वर्षों के दौरान स्थानीय निकायों इत्यादि को सहायता अनुदान के रूप में वर्ष 2008-09 [illegible]

वर्ष के दौरान जिला परिषदों, पंचायत समितियों तथा नगर पालिकाओं को ₹ 8,76 करोड़ का अनुदान दिया गया जो कुल अनुदान का 28$ था।

विगत तीन वर्षों में दिए गए सहायक अनुदान का ब्यौरा निम्नवत् है :-

(करोड़ रुपयों में)

| वर्ष | जिला परिषदों | नगर पालिकाओं | पंचायत समितियों | अन्य | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| **2008-09** | ... | 7,35 | ... | 16,31 | 23,66 |
| **2009-10** | ... | 4,85 | ... | 18,48 | 23,33 |
| **2010-11** | 8,76 | 2,46 | ... | 20,00 | 31,22 |

## 7.4 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

(करोड़ रुपयों में)

| [illegible] | 1 अप्रैल | 31 मार्च 2011 को | निवल वृद्धि (+)/ ह्रास (–) |
|---|---|---|---|
| रोकड़ शेष | | | -1,38 |
| रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार, कोषागार विपत्र) | 13,59 | 8,79 | -4,80 |
| उगाहा गया ब्याज | 1,46 | 91 | -55 |

अपने रोकड़ शेषों के उपयोग किये बगैर वर्ष 2010-11 के अन्त में राज्य सरकार के पास धनात्मक रोकड़ अन्त शेष था।

## 7.5 लेखे का पुनर्मिलान

[illegible] की शुद्धता एवं विश्वस [illegible] है। इस अभ्यास का पालन संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा संचालित होना चाहिए। बहुत से विभागों के लेखे का पुनर्मिलान अभी भी बाकी है। वर्ष 2010-11 में कुल व्यय (₹ 2,06,09 करोड़) में से मात्र 20$ (₹ 40,29 करोड़) का पुनर्मिलान राज्य सरकार द्वारा किए गए। इसी प्रकार कुल प्राप्तियाँ ₹ 1,87,81 करोड़ में से मात्र 55$ (₹ 1,03,50 करोड़) का पुनर्मिलान किया गया। विभिन्न विभागों के मुख्य पदाधिकारियों द्वारा लेखे की पुनर्मिलान की स्थिति नीचे दर्शाए गए हैं

| विवरण | कुल मुख्य नियंत्री पदाधिकारियों की संख्या | पूर्णतः पुनर्मिलान | आंशिक पुनर्मिलान | पुनर्मिलान नहीं किए गए |
|---|---|---|---|---|
| व्यय | 180 | 14 | 80 | 86 |
| प्राप्तियाँ | 100 | 13 | 11 | 76 |
| कुल | 280 | 27 | 91 | 162 |

**पुनर्मिलान के संदर्भ में कुछ पुराने चुककर्ता विभागों के नाम नीचे सूचीबद्ध किए गए है :-**

| क्रम सं॰ | विभाग का नाम/मुख्य नियंत्री पदाधिकारी | लंबित वर्ष/ वर्षों के नाम |
|---|---|---|
| 1. | सचिव, विधि | 2009-10, 2010-11 |
| 2. | सचिव, कृषि | 2009-10, 2010-11 |
| 3. | वाणिज्य-कर आयुक्त | 2009-10, 2010-11 |
| 4. | सचिव, वित्त (राजस्व एवं भू-राजस्व) | 2009-10, 2010-11 |
| 5. | सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार बोर्ड | 2009-10, 2010-11 |
| 6. | अपर सचिव, गृह प्रभाग IV ग्राम पुलिस आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग<br>आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची | 2009-10, 2010-11 |
| 7. | महानिरीक्षक (जेल), गृह विभाग | 2009-10, 2010-11 |
| 8. | वित्त आयुक्त | 2009-10, 2010-11 |
| 9. | उप-सचिव, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा<br>उप-सचिव, उच्च शिक्षा विभाग | 2009-10, 2010-11 |

| क्रम सं॰ | विभाग का नाम/मुख्य नियंत्री पदाधिकारी | लंबित वर्ष/ वर्षों के नाम |
|---|---|---|
| 10. | उप सचिव, कला संस्कृति एवं युवा | 2009-10, 2010-11 |
| 11. | निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं | 2009-10, 2010-11 |
| 12. | अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 2009-10, 2010-11 |
| 13. | सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | 2009-10, 2010-11 |
| 14. | उप सचिव, ग्रामीण विकास | 2009-10, 2010-11 |
| 15. | सचिव, शहरी विकास | 2009-10, 2010-11 |
| 16. | सचिव, कल्याण | 2009-10, 2010-11 |
| 17. | संयुक्त सचिव, प्राकृतिक आपदा | 2009-10, 2010-11 |
| 18. | श्रमायुक्त | 2009-10, 2010-11 |
| 19. | निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण | 2009-10, 2010-11 |
| 20. | निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय | 2009-10, 2010-11 |

## 7.6 कोषागारों द्वारा लेखे का प्रेषण

कोषागारों द्वारा प्रारंभिक लेखे का प्रेषण संतोषजनक है। यद्यपि लोक निर्माण कार्यों एवं वन विभागों द्वारा लेखे की प्रस्तुति में सुधार होना चाहिए।

## 7.7 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र (एसी॰) एवं विस्तृत आकस्मिक विपत्र (डीसी॰)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी सेवा शीर्षों को नामे द्वारा संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र के माध्यम से राशि आहरित करने के लिए अधिकृत है तथा उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि एक विशिष्ट अवधि के दरम्यान सभी मामलों में उप-वाउचरों द्वारा समर्थित विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत करें। वर्तमान में वर्ष 2000-01 से 2010-11 तक ₹62,39 करोड़ की राशि का 29,078 विस्तृत आकस्मिक विपत्र (15/09/2011 तक की स्थिति) इस कार्यालय में अप्राप्त है। संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र द्वारा राशि का आहरण संवितरण को प्रतिबिम्बित करता है किन्तु किए गए वास्तविक व्यय को नहीं दर्शाता है।

## 7.8 अपूर्ण पूंजीगत कार्यों के लेखे की वचनबद्धता

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010-2011 तक विभिन्न अपूर्ण परियोजनाओं पर कुल ₹ 19,98.42 करोड़ का व्यय किया गया।

## 7.9 व्यय की तीव्रता

वित्तीय नियमावली का शर्त है कि व्यय की तीव्रता विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में यदि हो, तो वह वित्तीय नियमितता के उल्लंघन को प्रदर्शित करता है, जिसे टाला जाना चाहिए। यद्यपि, मार्च 2011 [illegible]

[illegible]

[illegible]

| लेखा शीर्ष | वर्णन | प्रथम तिमाही | द्वितीय तिमाही | तृतीय तिमाही | चतुर्थ तिमाही | कुल | मार्च के दौरान | वर्ष 2010-11 के कुल व्यय के संदर्भ में 3/2011 की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (करोड़ रुपयों में) | | | | | | |
| 2203 | तकनीकी शिक्षा | 4.84 | 6.53 | 10.55 | 50.05 | 71.97 | 37.69 | 52.37% |
| 2204 | खेलकूद तथा युवा सेवाएं | 1.27 | 1.76 | 2.87 | 2 57.8 | 63.72 | 56.35 | 88.45% |
| 2245 | प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत | 0.79 | 2.61 | 1.97 | 37.59 | 42.96 | 2,31.69 | 539.32% |
| 2401 | फसल कृषि-कर्म | 7.01 | 10.12 | 16.53 | 1,44.07 | 1,77.73 | 1,18.83 | 66.86% |
| 2402 | मृदा तथा जल संरक्षण | 2.29 | 3.30 | 3.17 | 37.29 | 46.05 | 34.74 | 75.44% |
| 2404 | डेरी विकास | 1.07 | 2.05 | 7.40 | 43.48 | 54.00 | 37.38 | 69.21% |
| 2505 | ग्राम रोजगार | 1.51 | 29.13 | 63.17 | 2,41.34 | 3,35.15 | 2,00.94 | 59.96% |
| 2515 | अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम | 30.93 | 54.34 | 2.00.31 | 10.07.75 | 12,93.33 | 7.50.85 | 58.06% |
| 4225 | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | 12.37 | 7.08 | 12.43 | 1,55.65 | 1,87.53 | 1,07.02 | 57.07% |
| 5075 | अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 0 | 0 | 1,26.00 | 1,74.16 | 3.00.16 | 1,74.16 | 58.02% |
| 6801 | बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज | 0 | 0 | 40.00 | 2,35.43 | 2,75.43 | 2,30.43 | 83.66% |